राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(493)परि/नियम/मु./2013/53004 जयपुर, दिनांकः 15.07.2014

कार्यालय आदेश संख्या....22..../2014

विषयः– ODC/OWC वाहनों के अनुमति पत्र के संबंध में।

राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 8.14 के उपनियम (4) से (7) तक उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं पुलिस विभाग की अनापत्ति के अध्यधीन, केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 93 द्वारा निर्धारित अधिकतम् लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई से अधिक परिमाप के वाहनों (ODC) को राजस्थान राज्य में संचालन हेतु परिवहन विभाग द्वारा प्रारूप R.S 8.2 में अस्थाई अनुमति प्रदान की जाती थी।

इस प्रकार के ओवर डाईमेन्सन वाहनों के सुगम संचालन की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों की निरतरंता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्रांक RW-NH-35072/1/2010-S & R (B) दिनांक 20.05.2014 के अनुसार यह निश्चित किया गया है कि ऐसे वाहनों के संचालन की अनुमति हेतु वाहन स्वामी/संचालक को, मंत्रालय में इस निमित्त नियुक्त नोडल अधिकारी के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन करना होगा जो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, आवेदन में उल्लेखित मार्ग एवं कन्साईटमेंट हेतु निर्धारित अवधि में अनुमति पत्र जारी करेगा।

मंत्रालय के उक्त पत्र दिनांक 20.05.2014 के पश्चात परिवहन विभाग राजस्थान द्वारा ऐसी वाहनों (ODC) के राज्य में संचालन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस क्रम में समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि अग्रिम आदेशों तक ऐसे वाहन (ODC/OWC) यदि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अनुमति पत्र के अधीन राजस्थान राज्य में संचालित पाये जाए तो उनसे परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अनुमति पत्र की मांग नहीं की जावें। शेष अर्हताओं यथा पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट, टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, अतिभरण आदि की जांच नियमानुसार यथावत् की जाए।

(राजेश्वर सिंह)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ 7(493)परि/नियम/मु./2013/53005-013 जयपुर, दिनांकः 15/7/14

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन)।
4. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. समस्त उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)।
7. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
8. श्री संजय सिंघल, एसीपी को विभाग की वेबसाईट की अपडेटिंग हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)